न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

16

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक – तीन–निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/2900 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–7–2017 – पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर जिला श्योपुर – प्रकरण कमांक 3/2015–16 अपील

मुरारीलाल पुत्र अंगद ब्राहमण
निवासी गंज मोहल्ला विजयपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– लालपति पुत्र पुन्ना
ग्राम प्रहलादपुरा तहसील
विजयपुर, जिला श्योपुर
2– म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(म0प्र0शासन के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 19 जून, 2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 3/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31–7–2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार विजयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम लाड़पुरा तहसील विजयपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 27/1 मि0 17 रकबा 0.261 हैक्टर में उसका हिस्सा 1/2 है जिस पर आवेदक ने स्वयं् के नाम की पृविष्टि करा ली है जिसे दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार विजयपुर ने प्रकरण कमांक 24/ 2014–15 अ–6–अ पॅजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक

24-11-2015 पारित किया तथा अनावेदक क-1 का आवेदन खारिज कर दिया एंव निर्णीत किया कि आवेदन म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 115, 116 के तहत समयावधि एंव पर्याप्त आधार के न होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है।

तहसीलदार विजयपुर के आदेश दिनांक 24-11-2015 के विरूद्ध अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने प्रकरण कमांक 3/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31-7-2017 से तहसीलदार विजयपुर का आदेश दिनांक 24-11-2015 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पुर्नजॉच एंव सम्बन्धितों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने। अनावेदक क-1 के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों एंव शासन के पैनल लायर के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर श्योपुर व्दारा पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि की अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर से जांच कराई है। कलेक्टर श्योपुर को भेजे गये जांच प्रतिवेदन दिनांक 3-2-14 की प्रति अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के प्रकरण में पृष्ठ 43, 44 तथा 93 पर संलग्न है) जिसमें अंकित है कि भूमि सर्वे कमांक 27/1 मिन 17 रकबा सवा वीघा राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अंतर्गत श्रीमती मथुरा पत्नि स्व. अंगदराम ब्राहमण के खाते से लगी होने तथा स्वतंत्र बन्टन योग्य न होने के कारण व्यस्थापित की गई है तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम होने से Res-judicata लागू है, जिसके आधार पर वाद विचारित भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अनावेदक के नाम की

त्रृटिपूर्ण प्रविष्टि शून्यवत् है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर व्दारा कलेक्टर श्योपुर को भेजे गये प्रतिवेदन कमांक क्यू/प्रवाचक/2013/09 दिनांक 31-1-14 के पद 5 में इस प्रकार अंकन है :-

- **व्यवस्थापन के वाद लालपति पुत्र पुन्ना व्दारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से सर्वे कमांक 27/1 मिन 17 रकबा 1 वीघा 5 विसवा में मथुरा वेवा अंगदराम के साथ अपना नाम हिस्सा 1/2 पर अंकित करा लिया गया। इस आशय व्दारा तहसीलदार को म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के तहत प्रविष्टि को शुद्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। तत्कालीन तहसीलदार व्दारा अपने न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर स्थल निरीक्षण उपरांत स्थगन आदेश जारी किया जाकर लालपति को विधवा वेवा के हकों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाकर स्थगन की प्रति उसे दी गई। साथ ही तहसीलदार व्दारा टी.आई. को लालपति के विरूद्ध प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही करने को निर्देशित किया गया। ***

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि वाद विचारित भूमि पर लालपति के नाम की प्रविष्टि फर्जी है, जिसके कारण भूमि सर्वे कमांक 27/1 मि0 17 रकबा 0.261 हैक्टर अनावेदक क-1 लालपति के नाम व्यवस्थापन होने का तथ्य मिथ्या प्रतीत होता है एंव लालपति के नाम की अपलेखन करके खसरा प्रविष्टि हुई है, जिसे तत्का. तहसीलदार विजयपुर ने पटवारी अभिलेख को शुद्ध किया है। इसके विपरीत प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे कमांक 27/1 मिन 17 रकबा 0.261 है. स्वर्गीय मथुरा पत्नि अंगद ब्राहमण के भूमिस्वामी स्वत्व पर थी जो उनकी मृत्यु उपरांत उनके पुत्र मुरारीलाल के नाम तहसीलदार विजयपुर के आदेश दिनांक 21-9-11 से नामांत्रित हुई है और यह नामान्तरण आदेश अपील/निगरानी के अभाव में अंतिम होकर Res-judicata लागू है, और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर जिला श्योपुर के का आदेश दिनांक 31-7-17 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने प्रकरण कमांक 3/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-7-2017 से

तहसीलदार विजयपुर का आदेश दिनांक 24-11-2015 निरस्त करते हुये प्रकरण सम्बन्धितों की सुनवाई हेतु एंव पुनः जांच हेतु प्रत्यावर्तित किया है। म0प्र0 अधिनियम क्र. 42 सन् 2011 व्दारा दिनांक 30-12-2011 से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 49 की उपधारा 3 में निम्नानुसार सॅशोधन किया गया है :-

- **(3) पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील प्राधिकारी उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगा, इसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जैसाकि आदेश पारित करने के लिये वह आवश्यक समझे, परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी , उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी व्दारा मामले को निपटाने के लिये प्रतिप्रेषित नहीं करेगा।***

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर ने आदेश दिनांक 31-7-2017 से प्रकरण सम्बन्धितों की सुनवाई हेतु एंव पुनः जांच हेतु प्रत्यावर्तित करने में विधि की मंशा के विपरीत कार्य किया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 31-7-17 संहिता के सॅशोधित प्रावधानों के उल्लॅघन में होने से शून्यवत् होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, विजयपुर जिला श्योपुर व्दारा प्रकरण कमांक 3/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 31-7-2017 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर